प्रस्ताव का नामः— जनपद चमोली के अन्तर्गत कुलिंग दिदिंना मोटर मार्ग हेतु 6.459 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तारण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में कुलिंग से दिदिंना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.459 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल ग्राम सूया के पीथीढुंग धागर के निकट खसरा सं0 2083 में 1.018है0 एवं ग्राम सूया के टंवॉ सूया के निकट खसरा सं0 3045 में 11.90है0 भूमि वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है, जो वृक्षारोपण उपयक्त है तथा उक्त स्थल में कोई वृक्षारोपण नही किया गया है।

[illegible signature]
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

[illegible signature]
वन क्षेत्राधिकारी,
पूर्वी पिण्डर रेंज, देवाल,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण टिप्पणी।

परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/145990/2021

परियोजना का नामः– जनपद चमोली के अन्तर्गत कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.459 है0 वन भूमि का गैरं वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रयोक्ता एजेन्सी का नामः– लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, थराली।

वन प्रभाग का नामः– बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

जनपद चमोली के अन्तर्गत कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.459 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र पूर्वी पिण्डर रेंज, देवाल के अन्तर्गत ग्राम सूयया सिविल भूमि खसरा सं0 3045 में 11.90है0 तथा खसरा सं0 2083 में 1.018है0 कुल 12.918 है0 भूमि वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया है, जिसका प्रभागीय वनाधिकारी(अधोहस्ताक्षरी) द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया जिसमें वन क्षेत्राधिकारी पूर्वी पिण्डर रेंज, देवाल व लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी भी स्थलीय निरीक्षण में मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त प्रस्तावित स्थल में स्थानीय झाड़ियो के अतिरिक्त स्थल वृक्षो से वनाच्छादित नहीं है। अतः स्थल वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी,
पूर्वी पिण्डर रेंज, देवाल,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

Scanned with OKEN Scanner